

## उत्तर पूर्वी परिषद का 72वाँ पूर्ण अधिवेशन

**स्रोत: पी.आई.बी.**

त्रिपुरा के अगरतला में पूर्वोत्तर परिषद (NEC) के 72 वें पूर्ण अधिवेशन में केंद्रीय गृहमंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों में पुलिस बलों के लिये **उग्रवाद नियंत्रण** से हटकर **नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों** को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर जोर दिया, जो इस क्षेत्र में शासन की एक नवीन अवस्था को दर्शाता है।

- **NEC: वर्ष 1971 में** (संसद के एक अधिनियम द्वारा) स्थापित NEC, पूर्वोत्तर क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिये **नोडल एजेंसी है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, सिकिम तथा त्रिपुरा शामिल हैं।**
  - इसका उद्देश्य विकासात्मक चुनौतियों का समाधान करना और क्षेत्र की क्षमता का दोहन करना है।
- **NEC की उपलब्धियाँ:** 11,500 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार हुआ।
  - **उत्तर पूर्वी वलदुत कुरजा नगलम (NEEPCO)** के नेतृत्व वाली परलुोजनाओं के माधुयम से वलदुत उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया।
  - **क्षेत्रीय आयुर्वजुज्ञान संसुथान (RIMS) जैसे आधारभूत संसुथान** तथा वभिन्न शैक्षकल एवं तकनीकी केंद्र स्थापतल करना।
  - **एक सलाहकार नकलाय से क्षेत्रीय यलोजना एजेंसी के रूप में** परवलरततल होकर, रणनीतकल नरुणय लेने में महत्त्वपूर्ण भूमकल नभल रहा है।

और पढ़ें...

[वलकसतल राषुटर के लयल पूर्वी भारत का पुनरुदधार](#)